

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-1/बजट-यो0-40/2024- 07 अक्टूबर

पटना, दिनांक- 18 जुलाई, 2025

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग।

सेवा में,

उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी/पूसा/पटना,
सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज/बेतिया/मोतीहारी/
सीतामढ़ी/सिवान/समस्तीपुर/भागलपुर/पूर्णियाँ/गया/दरभंगा/
भोजपुर/मुजफ्फरपुर/जमुई/सहरसा/पटना एवं बगहा।
विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना अंतर्गत " मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम " के लिए स्वीकृत कुल 4900.00 लाख रू० (उनचास करोड़ रू०) मात्र के विरुद्ध 33 प्रतिशत कुल 1617.00 लाख रू० (सोलह करोड़ सतरह लाख रू०) मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-196 स्वी०/सी.सी. दिनांक-03.07.2025 एवं संशोधित आदेश ज्ञापांक-223 स्वी० दिनांक-18.07.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना अंतर्गत " मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम " के लिए कुल 4900.00 लाख रू० (उनचास करोड़ रू०) मात्र की योजनाओं के कार्यान्वयन के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि कुल 4900.00 लाख रू० मात्र के विरुद्ध वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-235/वि. दिनांक-01.04.2025 के आलोक में 33 प्रतिशत राशि कुल 1617.00 लाख रू० (सोलह करोड़ सतरह लाख रू०) मात्र का आवंटन किया जा रहा है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार श्रेणीवार 33 प्रतिशत आवंटित राशि के अधीन मदवार आवश्यकतानुसार राशि की निकासी संबंधित कोषागार से कर सकेंगे।

(2). इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 33 प्रतिशत आवंटित राशि की निकासी हेतु बजट शीर्षवार विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	उपबंधित राशि (लाख रू०)	स्वीकृत राशि (लाख रू०)	33 प्रतिशत आवंटित राशि (लाख रू०)
1.	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष -00- लघु शीर्ष- 108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या-45 उप शीर्ष- 0109 ईख विकास विपत्र कोड- 45-2401001080109	33 01 सब्सिडी	4705.63	3878.63	1279.94790
		20 03 प्रशिक्षण व्यय	124.05	124.05	40.93650
		20 02 कान्फ्रेंस, सेमिनार एवं कार्यशाला	49.62	49.62	16.37460
2.	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष -00 लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-45- उपशीर्ष-0108-ईख विकास विपत्र कोड संख्या- 45-2401007890108	विषय शीर्ष- 33 01 सब्सिडी	910.40	750.40	247.63200
		20 03 प्रशिक्षण व्यय	24.00	24.00	7.92000
		20 02 कान्फ्रेंस, सेमिनार एवं कार्यशाला	9.60	9.60	3.16800

3.	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष -00 लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग संख्या-45-उपशीर्ष-0129-ईख विकास विपत्र कोड संख्या-45-2401007960129	विषय शीर्ष-33 01 सब्सिडी	73.97	60.97	20.12010
		20 03 प्रशिक्षण व्यय	1.95	1.95	0.64350
		20 02 कान्फ्रेंस, सेमिनार एवं कार्यशाला	0.78	0.78	0.25740
	योग-		5900.00	4900.00	1617.00

(3). यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-235/वि. दिनांक-01.04.2025 के आलोक में आवंटित की जा रही है।

(4). आवंटित राशि जिस श्रेणी हेतु आवंटित की गई है, उसी श्रेणी से संबंधित बजट शीर्ष से निकासी की जाएगी।

(5). व्यय के उपरांत व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

(6). इस योजना हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-196 स्वी0/सी.सी. दिनांक-03.07.2025 एवं संशोधित आदेश ज्ञापांक-223 स्वी0 दिनांक-18.07.2025 में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में योजना का कार्यान्वयन तथा राशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए संबंधित चीनी मिल के प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष एवं सहायक निदेशक, ईख विकास पूर्णतः जवाबदेह होंगे।

(7) प्रस्ताव में सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक-यथोक्त:

विश्वासभाजन

Pomam Kumari
18/7/25

उप सचिव

गन्ना उद्योग विभाग।

ज्ञाप संख्या-1/बजट-यो0-40/2024- 07/07/25

पटना, दिनांक- 18 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Pomam Kumari
18/7/25

उप सचिव

गन्ना उद्योग विभाग।

ज्ञाप संख्या-1/बजट-यो0-40/2024- 07/07/25

पटना, दिनांक- 18 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/बेतिया/मोतीहारी/सीतामढ़ी/सिवान/समस्तीपुर/भागलपुर/पूर्णिया/गया/दरभंगा/भोजपुर/जमुई/मुजफ्फरपुर/सहरसा/भोजपुर (आरा)/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Pomam Kumari
18/7/25

उप सचिव

गन्ना उद्योग विभाग।

ज्ञाप संख्या-1/बजट-यो0-40/2024- 07/बजट

पटना, दिनांक- 18 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतिहारी एवं पटना/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/महाप्रबंधक, प्रतापपुर चीनी मिल/सचिव, बिस्मा/संबंधित के.भी.के./राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम (BRBN), बिहार, पटना/विपणन प्रमुख, बिहार राज्य बीज निगम (BRBN), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Poonam Kumar
18/7/25

उप सचिव

गन्ना उद्योग विभाग।

ज्ञाप संख्या-1/बजट-यो0-40/2024- 07/बजट

पटना, दिनांक- 18 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि- सभी जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ-क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण), कृषि विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Poonam Kumar
18/7/25

उप सचिव

गन्ना उद्योग विभाग।

ज्ञाप संख्या-1/बजट-यो0-40/2024- 07/बजट

पटना, दिनांक- 18 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

Poonam Kumar
18/7/25

उप सचिव

गन्ना उद्योग विभाग।

[illegible]

18/2/20
उप सीधिर,
गन्ता उद्योग विभाग।